कार्यालय पंजीयक सभायें चम्बा जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश

सभायें पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत

पंजीकरण प्रमाण पत्र

संख्या: 36/चम्बा/2005 दिनांक: 27-10-2005

मैं प्रमाणित करता हुं कि पर्यावरण चेतना एवं ग्रामीण विकास केन्द्र समा साहु जिला-चम्बा

सभायें पजींकरण अधिनियम 21, 1860 /हिमाचल प्रदेश संशोधित अधिनियम 1973/ के अन्तर्गत इस दिन पंजीकृत की गई हैं ! आज दिनांक 27-10-2005 को मेरे हस्ताक्षर चम्बा में जारी किया गया !

मुल्य: 50/- रूपये पंजीकरण
शुल्क चालान संख्या: 47
दिनांक: 27-10-2005
द्वारा जमा किया गया !

पंजीयक सभायें,
चम्बा / हि0प्र0!

पर्यावरण चेतना एवं ग्रामीण विकास केन्द्र का उद्देश्य-पत्र

नाम : पर्यावरण चेतना एवं ग्रामीण विकास केन्द्र।
कार्यालय : केन्द्र का पंजीकृत कार्यालय साहो में रहेगा।

प्रस्ताव संख्या 1. केन्द्र (सभा) के उद्देश्य :

प्रकृति और मनुष्य के परस्पर शाश्वत अंतर्सम्बंध और मनुष्य तथा समूचे जीव जगत की प्रकृति पर निर्भरता के परिणाम स्वरूप इसके विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग और रूपान्तरण की शर्त मानव व जीव-जगत के जीवन के बचे रहने की मूल शर्त है। जबकि मनुष्य अपनी ऐतिहासिक विकास यात्रा में अपने अनुभव/ज्ञान के भी सरल से जटिल रूप और आदिम से उच्च विकसित वैज्ञानिक रूप की ओर निरंतर अग्रसर है। वनस्पति भी प्रकृति का जीव-जगत (मनुष्य समेत) के समान ही जीवंत रूप है। जीव-जगत की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की अधिकांशतः पूर्ति वनस्पति जगत से होती आई है। प्रकृति मूलतः पंच महाभूत के रूप में विद्यमान है।

मानव की ऐतिहासिक विकास यात्रा में उसने पंच महाभूत का भी अपनी आवश्यकताओं अथवा लगातार बढ़ाई जाती रहने वाली आवश्यकताओं के लिए बराबर रूपान्तरण किया है। यही कारण है कि आज धरती, जल, वायु, अग्नितत्व और आकाश तत्व में भी असंतुलन पैदा हो गया है और वह बढ़ता जा रहा है। जीवन और विकास दोनों की ही दृष्टि से आज हर आदमी को यह बात जान लेना परमावश्यक है।

परन्तु व्यावहारिक तौर पर मानव समाज समूचे तौर पर प्रकृति के संतुलन-असंतुलन का प्रभाव-सकारात्मक और नाकारात्मक दोनों की रूपों में देखने के बावजूद सचेत नहीं है और अनेकों भ्रमों का शिकार तो है ही- दुराग्रही भी है और व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से जीवन और प्रकृति के नियमों की अनदेखी भी खूब करता है। इस मूल स्थिति को ध्यान में रखकर पर्यावरण चेतना एवं ग्रामीण विकास केन्द्र का निर्माण किया गया है। इस केन्द्र में पारिस्थिकी के संतुलन को लेकर प्रशिक्षण का कार्य संचालित रहेगा। प्रशिक्षण के साथ-साथ व्यावहारिक तौर पर भी जीवन और जीवन यापन की गतिविधियों के संचालन में भी प्रशिक्षण से प्राप्त व अनुभव से काम लेने का नियोजित काम किया जाएगा।

कार्यविधि :

प्रस्ताव संख्या 2.

1)
- प्रशिक्षण :वन विकास और संरक्षण की आवश्यकता और महत्व।
- कृषि : इस काम सम्बन्धी पूरी जानकारी भूमि, सिंचाई, बीज, खाद, फसलों की बीमारियां, उपचार से लेकर अतिरिक्त उत्पाद के विपणन की समस्याएं।
- बागवानी: इस काम की भी समग्र रूप से वैज्ञानिक ढंग की जानकारी और मार्केट की समस्याएं।
- वन्य प्राणी सुरक्षा की आवश्यकता और महत्व।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सम्बन्धी विस्तृत जानकारियाँ।
- शिक्षा और व्यवसाय सम्बन्धी विषय द्वारा यह स्पष्ट करना कि शिक्षा प्राप्त करके गांव में ही किस प्रकार आजीविका चलाई जा सकती है। इसके साथ पुस्तकालय।
- सहकारिता क्यों आवश्यक और इसका महत्व क्या है।
- जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक तथा पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं का विश्लेषण।
- सामाजिक एकता और शान्ति के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों की आवश्यकता ओर महत्व।
- दस्तकारी का परम्परागत क्रम व नयी स्थितियों के अनुसार उसके परिवर्तन समस्याएं व ढंग।
- पशु-पालन सम्बन्धी समग्र प्रशिक्षण।
- पंचायती राज को सही अर्थों में लोकतांत्रिक रूप में संचालित करने का प्रशिक्षण।

कुल मिलाकर ग्रामीण आर्थिक ढांचे को लेकर सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने उसके स्तर को ऊंचा उठाने और उसमें प्रबन्धन की भूमिका को समझते हुए चलने की समझ के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने और जितना वह बिगड़ गया है उसे सही करने सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना। यातायात के साधनों, पशुधन के आवगमन, निर्माण कार्यों, वनों से इमारती लकड़ी की निकासी आदि के कुप्रभावों के प्रति सचेतनता और सुरक्षात्मक कदमों की तैयारी। जीवन की आवश्यकताओं के नाम पर की जा रही किसी भी गतिविधि को लेकर प्रकृति के साथ व्यावहारिक और संतुलनोन्मुखी समझ के विकास का निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से विस्तार।

प्रस्ताव संख्या 3.

पर्यावरण चेतना एवं ग्रामीण विकास केन्द्र साहो' की प्रस्तावित जिला स्तरीय संरक्षक समिति' , अपने बहुमत के आधार पर इस नियमावली की मौलिक भावना के अनुरुप परिवर्तन अथवा सन्शोधन के अधिकार से, यह "प्रबन्ध-समिति" के सहयोग से इस केन्द्र का संचालन करेगी । संरक्षक समिति के अध्यक्ष (संरक्षक) उपायुक्त जिला चम्बा (पदेन) सदस्य 2. उप मण्डल अधिकारी (ना0) 3. वन मण्डलाधिकारी, 4. उप-निदेशक कृषि 5. उप-निदेशक बागवानी, (उद्यान) 6. मुख्य प्रबन्धक, 7. उद्योग विभाग, 8. जिला ग्रामीण विकास एजेंसी अधिकारी व अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रमुख होंगे। जिला परिषद के स्थानीय प्रतिनिधि पंचायत समिति के स्थानीय सदस्य ग्राम पंचायत साहो के प्रधान, कुछ स्थानीय व्यक्ति, पर्यावरण व अन्य जनापेक्षी कार्यों के लिए समर्पित व्यक्ति तथा 'हरित-हिमालय' और साहो-परोथा जलागम क्षेत्र विकास परियोजनाओं के निरन्तर सक्रिय और प्रतिभागी व्यक्ति जन-सदस्य होंगे।

व्याप्त क्षेत्रीय हित और इस जन सम्पति की रक्षा, उपयोग और संवर्द्धन के लिए अब साहो ग्राम पंचायत की ग्राम सभा आगामी पांच वर्ष के लिए निम्नलिखित संरक्षक समिति के गठन की संस्तुति करती है। इसके निम्नलिखित संस्थापक सदस्य होंगे:

1.	उमा महाजन	2.	कुलभूषण उपमन्यु
3.	चमन सिंह (बाट)	4.	लक्ष्मीधर शर्मा।
5.	ज्ञान चन्द	6.	चैन लाल (बाट)
7.	प्रो0 विपिन चन्द्र रोहारी	8.	प्रो0 विद्यासागर
9.	मान सिंह (जडेरा)	10.	केशव चन्द्र
11.	रतन चन्द शर्मा	12.	गजेन्द्र सिंह
13.	देव बड़ोतरा	14.	भूपेन्द्र शर्मा
15.	राजकुमार (वैली पंचायत)	16.	देवदत्त शर्मा (साहो पंचायत)

प्रस्ताव संख्या 4:

प्रशिक्षण सम्बन्धी विषयों की जानकारी को व्यावहारिक रूप से चलाने के लिए एक तो गुदयाल, पंजला और साहो अर्थात् साल नदी-घाटी क्षेत्र में किसानों, बागवानों, सब्जी उत्पादकों, पशु-पालकों आदि पर आधारित उत्पादक और विकास कमेटियों का गठन किया जाएगा- उनको सहकारिता से भी जोड़ा जाना अपेक्षित है। उस क्रम में उनके काम के स्वरूप को पर्यावरण-मित्र बनाने की भी बात होगी।

साहो-परोथा क्षेत्र में व जडेरा उटीप और बाट क्षेत्रों में वन विकास और वन-सुरक्षा से जुड़ी 'हरित हिमालय परियोजना' और 'साहो-परोथा जलागत क्षेत्र विकास परियोजना' के अर्न्तगत भूमि कटाव को रोकन, वीरान क्षेत्र को हरा-भरा बनाने, नष्ट-प्राय सिंचाई व्यवस्था को दौबारा ठीक करने, परम्परागत दस्तकारी को जारी रखने में मदद करने, इस क्षेत्र में अन्य रोजगार मूलक काम उपलब्ध करवाने और चिन्हित करने, नर्सरी विकास आदि के जो काम करवाये गये हैं उनके सकारात्मक परिणामों को बचाये रखने और इसके लिए सुनिश्चित व्यवस्था भी प्रस्तावित है। वन्य प्राणी सुरक्षा, सहकारिता के परिणाम स्वरूप और पंचायती राज में जनोन्मुखी और लोक तांत्रिक ढंग से किये गये कामों की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं हैं उनके आस्तित्व को बचाने का प्रयत्न व उसके लिए व्यवस्था करना। ऐसे सब साकारात्मक और सफल प्रयोगों के साथ सामुदायिक, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा और सरकार द्वारा करवाये गए कामों के परिणामों से बहुत भिन्न सहकारी सभाओं के लिए भूमि प्राप्त करना और सहकारी विक्री केन्द्रों और भंडारण तथा प्रबन्धकीय उपयोगों व आय का सृजन करने वाले भवनों (अचल सम्पति) का निर्माण तथा पंचायत की आय वृद्धि के लिए गैस्ट हाऊस, पर्यावरण चेतना विकास के लिए प्रशिक्षण भवन का निर्माण और पंचायत के नाम पर बागीचा लगाकर आय का स्रोत खड़ा करना भिन्न प्रकार की गतिविधियां सार्थक परिणाम मूलक रही हैं।

इसी सोच का परिणाम पर्यावरण चेतना एवं ग्रामीण विकास केन्द्र परिसर साहो है। इसका निर्माण भी समाज सापेक्ष क्रियात्मक और सकारात्मक है। यह केन्द्र इस क्रम को जन-आंदोलन में परिवर्तित करने का और ऊपर गिनाये गए उपलब्धि मूलक कामों के अनुरक्षण, प्रसार एवं प्रशिक्षण का काम करेगा।

उपरोक्त निर्दिष्ट उद्देश्यों के कार्यक्षेत्र का परगना साहो-गुदियाल व पंजला के अतिरिक्त रावी की उपरी घाटी में नगर सीमा स्थित करियां पंचायत से लेकर बसू तक फैली पंचायत क्षेत्रों तक में विस्तार किया जाएगा।

संचालन समिति आम सभा

प्रस्ताव संख्या 5.

पदाधिकारेण सदस्य :

1. 1. जिला उपायुक्त- संरक्षक, 2 उप -मण्डलाधिकारी (ना0) 3. वन मण्डलाधिकारी,
   4. उप-निदेशक कृषि 5. उप-निदेशक (बागवानी) उद्यान
   6. मुख्य प्रबन्धक, उद्योग विभाग 7. जिला ग्रामीण विकास एजेंसी अधिकारी
   8. संड विकास अधिकारी व अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी सदस्य।
2. जडेरा क्षेत्र से जिला परिषद प्रतिनिधि। ग्राम पंचायत साहो सदस्य पंचायत समिति। साहो, ग्राम पंचायत प्रधान।

प्रस्ताव संख्या 6.

कार्य क्षेत्र :

पर्यावरण चेतना एवं ग्रामीण विकास केन्द्र साहो ऊपर बताए गए कार्यक्रमों को लेकर इच्छुक अथवा प्रेरित युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं के लिए पूरे चम्बा जिला के लिए यहां प्रशिक्षण गतिविधियां यथा आवश्यकता और योजना संचालित करता रहेगा।

चम्बा जिला के अलावा हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले से देश के अन्य राज्यों से अथवा देश से बाहर से भी यदि कोई संगठन व्यक्ति समुदाय प्रशिक्षण प्राप्त करने आए तो उसे व्यवस्था की जाएगी।

प्रस्ताव संख्या 7.

सदस्यता के नियम :

क) पर्यावरण चेतना एवं विकास केन्द्र जो अब इसी नाम से सम्बोधित होगा इसकी सदस्यता ऊपर वर्णित संस्थापक सदस्यों, जिला प्रशासन अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्र से सम्बन्धित प्रतिनिधियों, क्षेत्र के ऐसे प्रबद्ध लोगों से लो इस सभा के उद्देश्यों से प्रेरित हों और उनसे सम्बद्ध कार्यों में सहायक बने। इसके अतिरिक्त पर्यावरण/परिस्थिति की संतुलन के लिए समर्पित बुद्धिजीवी व कार्यकर्ता जिला, प्रदेश व देश के किसी भी भाग

से इसके सदस्य बनाए जा सकते हैं। सदस्यता सभी लिंगों के लिए प्राप्य होगी। जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग का इसके लिए कोई भेद नहीं होगा।

ख) **सदस्यता फीस:**

पर्यावरण चेतना एवं ग्रामीण विकास केन्द्र का सदस्य बनने के लिए 5/- रू0 भर्ती फीस होगी। फीस जमा करवाने पर ही कोई व्यक्ति सदस्य बन सकेगा। प्रस्तुत उद्देश्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य संस्थापक सदस्य होंगे। संस्थापक सदस्य प्रबन्ध समिति का गठन करेंगे। सदस्यता फीस 50/- रू0 वार्षिक होगी।

ग) सदस्यता (नामों व फीस की सूची) के लिए एक रजिस्टर केन्द्र द्वारा लगाया जाएगा।

घ) पर्यावरण चेतना एवं ग्रामीण विकास केन्द्र के सब सदस्य-इसकी आम सभा के सदस्य होंगे। आम सभा बैठक करके केन्द्र की कार्यकारिणी समिति का चुनाव करेगी।

ङ) कार्यकारिणी समिति का एक अध्यक्ष अथवा प्रधान एक उप-प्रधान, एक सचिव, एक को-ाध्यक्ष और पांच या सात सदस्य होंगे। चुनी हुई कार्यकारिणी केन्द्र की गतिविधियों के संचालन का काम करेगी।

1) कार्यकारिणी सदस्यों का वार्षिक चन्दा निश्चित करेगी। समय-समय पर केन्द्र को आवश्यकता पड़ने पर विशे-ा चंदा या सहयोग राशि इकट्ठा करना तय करेगी जो सदस्यों व हददर्द गैर- सदस्यों से भी लिया जा सकेगा।

2) कार्यकारिणी किसी संस्था, व्यक्ति, सरकार से यदि कोई परियोजना बनाकर चलानी हो सहायता के रूप में धन प्राप्त करने या न प्राप्त करने के निर्णय के लिए अधिकृत होगी।

बैठकें :

क) पर्यावरण चेतना एवं ग्रामीण विकास केन्द्र की साधारण-सभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी। विशेष बैठकें आवश्यकतानुसार होगी। चूंकि कार्यकारिणी समिति साधारण सदस्यों की ही चुनी ईकाई होगी अतः वह बैठक का अंग होगी व सभा के कार्यक्रम पर बातचीत करेगी व निर्णय लेकर, निर्णयों को लागू करेगी।

ख) कार्यकारिणी की बैठक 3 महीनें में एक बार व आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकेगी। बैठक की बातचीत और फैसलों का विवरण साधारण सभा की बैठक में सुनाया जाता रहेगा।

ग) प्रबन्ध समिति की बैठकों की कार्यवाही लिखे जाने के लिए एक रजिस्टर रहेगा।

घ) केन्द्र (सभा) की साधारण बैठक व कार्यकारिणी की बैठकों के लिए लिखित कार्यक्रम (एजेंडा) तैयार किया जाता रहेगा।

ङ) केन्द्र (सभा) की वार्षिक साधारण सभा होगी। इसकी सूचना, व्यवस्था कार्यकारिणी करेगी। वार्षिक आम सभा में वर्ष भर की गतिविधियों, हिसाब-किताब आदि की रिपोर्ट पेश की जाएगी। आगामी कार्यक्रम की योजना बनाई जाएगी। दोनों का वर्तमान सभा अनुमोदन करेगी। आगामी कार्यक्रम संचालन के लिए प्रबन्ध समिति की कार्यकारिणी का चुनाव करेगी। इसका चुनाव होता रहेगा। विशेष परिस्थिति में (असक्रियता, त्याग-पत्र या मृत्यु) इससे पहले भी चुनाव हो सकता है।

कोरम (अनिवार्य उपस्थिति):

क) आम/साधारण सभा में कुल सदस्यों में से कम से कम 20 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अपेक्षित उपस्थिति न होने पर एक सप्ताह में दौबारा बैठक बुलाई जाएगी। दौबारा कोरम पूरा न होने की स्थिति में उपस्थित सदस्य ही बैठक की कार्यवाही सम्पन्न करेंगे और अपेक्षित निर्णय लेंगे।

ख) कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए समिति के 33 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कोरम पूरा न होने पर एक सप्ताह के भीतर बैठक बुलाई जाएगी। दौबारा भी यदि कोरम पूरा न हुआ तो उपस्थित सदस्य कार्यवाही सम्पन्न कर निर्णय ले सकेंगे और उसका क्रियान्यवन करेंगे।

पदाधिकारी :

क) केन्द्र (सभा) की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों में प्रधान बैठक की अध्यक्षता करेगा। प्रधान की अनुपस्थिति में उप-प्रधान अध्यक्षता करेगा। अथवा कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य का नाम प्रस्तावित करके अध्यक्षता के लिए अनुमोदित किया जा सकेगा।

ख) आम सभा में भी प्रधान अध्यक्षता करेगा अथवा कोइ भी अन्य साथी अध्यक्षता के लिए चुना जा सकेगा।

ग) कार्यकारिणी का सचिव केन्द्र (सभा) के सभी तरह के रिकार्ड-रजिस्टरों, लेखा-सम्बन्धी रजिस्टरों, कैश-बुक की देख-रेख करेगा। हर तरह का पत्र-व्यवहार करेगा। बैठक की कार्यवाही लिखेगा। निर्णयों की सूचना सम्बन्धित व्यक्तियों, संस्थाओं, अधिकारियों आदि को भेजेगा। पत्र-व्यवहार का रिकार्ड भी रखेगा। बैठक का एजेंडा तैयार करेगा। कार्य प्रणाली के अनुसार सम्बन्धित सदस्यों, पदाधिकारियों आदि को देगा या भेजेगा। सचिव-कार्यकारी सचिव होगा।

घ) कैशियर (कोषाध्यक्ष)

केन्द्र (सभा) के पास आने वाले पैसे- सदस्यता फीस, सहायता राशि, विशेष चंदा, वार्षिक चंदे आदि का हिसाब-किताब रखेगा। केन्द्र के लिए सामग्री यथा स्टेशनरी, फर्नीचर व अन्य आवश्यक सामान खरीदने के लिए पैसे देगा। खरीदे गये सामान की रसीद/कैश-मेमो आदि कागज़ात की सम्भाल व यथा समय उसकी ऑडिट जांच करवायेगा।

केंद्र (सभा) के पैसे को बैंक में खाता खुलवाकर जमा रखा जाएगा। प्रधान, सचिव और कैशियर में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर वाले मांग पत्र पर अपेक्षित रकम निकाली जा सकेगी।

ङ) केन्द्र (सभा) के पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य व साधारण सदस्य केन्द्र के संचालन के लिए समान रूप से उत्तरदायी होंगे। परन्तु उनके कार्य समय-समय पर (बैठकों) निश्चित होते रहेंगे।

च) वार्षिक आम सभा के चुनाव में अथवा किसी प्रस्ताव पर मतभेद होने की स्थिति में यदि मतदान की आवश्यकता पड़ेगी तो हर सदस्य को मतदान का समान अधिकार होगा। बहुमत की राय सबको माननी होगी।

छ) सदस्यता की पात्रता बनाये रखने के लिए हर सदस्य को नियमानुसार वार्षिक केन्द्र के पास जमा करवानी होगी। यह राशि वर्ष के आरम्भ में देनी होगी। भरती फीस और सदस्यता फीस की केन्द्र को रसीद जारी करनी होगी। जो सदस्य फीस जमा न करवाए उसे सदस्य नहीं माना जाएगा और वह बैठक में भाग नहीं ले सकेगा। अतः मतदान का अधिकारी भी नहीं होगा। परिस्थितिवश कोई सदस्य वर्ष के आरम्भ में पहली बार बैठक में चंदा जमा नहीं करवा पाता तो दूसरी या किसी भी बैठक के समय जमा करवा सकता है।

ज) सदस्य बन जाने पर भी कोई सदस्य यदि किसी समय किसी भी जाने अनजाने कारण से केन्द्र के मूल उद्देश्यों के विरुध चलता है, प्रचार करता है। तो उसे सदस्यता से हटाया जा सकता है। सचिव उसके निकाले जाने का नोटिस/आदेश जारी करेगा। आम सभा की बैठक में निकाले जाने के आदेश का अनुमोदन किया जाएगा। सचिव बैठक में सदस्य को निकाले जाने के प्रस्ताव के आधार पर निकासी आदेश जारी करेगा।

झ) परिस्थितिवश यदि कार्यकारिणी समिति को भंग करने की आवश्यकता पड़े तो आम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। कुल सदस्यों के 3/4 भाग अर्थात 75 प्रतिशत के समिति भंग करने के पक्ष में मत दे उसे भंग किया जा सकेगा और पुनः चुनाव होगा।

प्रस्ताव संख्या 8

आर्थिक साधन व जन सहयोग :

1. चूंकि केन्द्र का स्वरूप विशेष ढांचागत है-इसका एक पूरा परिसर व संलग्न क्षेत्र इसके लिए प्रतीकात्मक आय उत्पन्न करने वाला है। इस सारी जन-सम्पत्ति की सुरक्षा और रख-रखाव के लिए निरन्तर पैसे की आवश्यकता रहेगी। गतिविधियों के रूप में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पर्यावरण व सामाजिक चेतना विकास मूलक चलाए जाएंगे। साथ ही पर्यावरण व समाज सापेक्ष परियोजना कार्य किये जाने प्रस्तावित व अपेक्षित होंगे। अतः पर्यावरण चेतना एवं ग्रामीण विकास केन्द्र (सभा) को स्वयं सेवी संगठनों से सरकार (सरकारी विभागों) से उदारचेता व्यक्तियों से जिला, राज्य व केन्द्र से कार्य संचालन के लिए सहयोग के रूप में आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने का अधिकार होगा। पर्यावरण सुरक्षा और संतुलन और क्षेत्र के लोगों के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के सुधार तथा मेल-मिलाप वाले माहौल बनाने के लिए पहले लो काम प्रायेजित ढंग से किये जाते रहे हैं उनकी उपलब्धियों को बचाने तथा आगे उसके विकास के लिए नियोजित कार्य किये जाने की आपश्यकता विद्यमान है।
2. उपर्युक्त प्रकार के कार्यों के कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए केन्द्र (सभा) को तदनरूप प्रबन्धक समिति गठित करने और कार्यों के आकार और स्वरूप के अनुरूप उसके पदाधिकारियों, सदस्यों व आम सदस्यों को वेतन/मानदेय भत्तों आदि के आधार पर नियुक्त करने व स्थिति आने पर उनको हटाने का अधिकार होगा।
3. पर्यावरण चेतना एवं ग्रामीण विकास केन्द्र साहो की संस्थापक सदस्यों की कार्यकारिणी कार्यविधि सचिव को इस केन्द्र (सभा) के पंजीकरण करवाने के लिए अधिकृत करती है।
4. पंजीकरण करवाये जाने के लिए तैयार दस्तावेज़ में यदि कुछ नया जोड़ने या लिखे में से काट-छांट करने की जरूरत पड़े तो कार्यकारी सचिव ऐसे परिवर्तन के लिए अधिकृत है।

प्रस्ताव संख्या 9.

समिति चुनाव :

उपरोक्त उद्देश्यों के परिपालन व संचालन के लिए निम्नलिखित कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चयन किया गया:

क्रम संख्या	पद	नाम
1.	अध्यक्ष	श्री कुल भूषण उपमन्यु
2.	उपाध्यक्ष	श्रीमति उमा महाजन
3.	कार्यकारी सचिव	श्री रतन चन्द
4.	कोषाध्यक्ष	श्री गजेन्द्र सिंह
5.	सदस्य	श्री देवेन्द्र बड़ोत्रा
6.	सदस्य	श्री केशव चन्द्र
7.	सदस्य	श्री चमन सिंह
8.	सदस्य	श्री. भुपेन्द्र शर्मा

Attested